रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10

सं. प्रशा./14/14162/6th सी.पी.सी./पत्राचार/जिल्द-XVII दिनांक : 19.02.2014

सेवा में

सभी र.ले.प्र.नि./ र.ले.नि./ ए.वि.स.
प्रधान लेखा नियंत्रक(फै.), कोलकाता

(रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के मेल सर्वर के माध्यम से)

विषय: वेतनवृद्धि की राशि को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

Sub : Rounding off the amount of increment to next multiple of 10 : Clarification regarding.

आपका ध्यान इस मुख्यालय के 29/02/2012 के परिपत्र सं. AN/XIV/14162/6th CPC/Circular/Vol.IV की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि पर वेतन नियतन करते समय राशि को पूर्णांकित करने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29/08/2008 (आर.पी.आर. 2008) की अधिसूचना के अंतर्गत नियम 7 (नोट 2ए), नियम 9 और नियम 11 में विहित कार्यप्रणाली को ग्रहण करने तथा केवल 07/2009 अथवा उसके बाद प्रदान की गई वार्षिक वेतन-वृद्धि के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29/01/2009 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी अनुदेशों को कार्यान्वित करने के निदेश दिए गए थे।

Attention is invited to this HQrs Circular No. AN/XIV/14162/6th CPC/Circular/Vol.IV, dt. 29/02/2012 wherein it was directed to adopt the methodology stipulated in Rule 7(Note 2A), Rule 9 and Rule 11 of GoI, MoF notification, dated 29/08/2008 (RPR 2008) for rounding off at the time of fixation of pay while granting annunal increment for the year 2006, 2007 and 2008 and implement the revised instructions issued by MoF, Department of Expenditure vide their OM, dated 29/01/2009 only for annual increments granted on or after 07/2009.

2. इस संबंध में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19/03/2012 के कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन के अंतर्गत वेतन का पुनः नियतन करने पर वेतनवृद्धि की राशि को पूर्णांकित करने में विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों द्वारा अलग-अलग कार्यप्रणालियों को ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुई असंगति को विभाग के एक नियंत्रक कार्यालय ने उजागर किया है।

In this regard, a reference has been made by one of the controller offices bringing out the anomaly caused due to adoption of different methodologies by different controller offices in rounding off the amount of increment while carrying out refixation of pay due to implementation of MoF, Deptt. of Expenditure OM dated 19/03/2012.

3. इस संबंध में किसी भी असंगति से बचने के लिए पुनः निदेश दिए जाते हैं कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19/03/2012 के कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन के तहत वेतन का पुनः नियतन करते समय इस मुख्यालय के दिनांक 29/02/2012 के परिपत्र के तहत जारी अनुदेशों का संपूर्णतः पालन किया जाए। तदनुसार, एक रुपए अथवा उससे अधिक राशि को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29/01/2009 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत जारी अनुदेशों को केवल 01/07/2009 अथवा उसके बाद स्वीकृत संशोधित वेतन ढांचे के तहत वेतन-वृद्धि की गणना के लिए ही कार्यान्वित किया जाए।

To avoid any anomaly, it is reiterated that the instructions laid down under this HQrs circular dated 29/02/2012 are to be followed in-toto while refixation of pay on account of implementation of MoF, Deptt. of Expenditure OM dated 19/03/2012 also. Accordingly, the instructions issued by MoF, Deptt. of Expenditure vide their OM dated 29/01/2009 to round off any amount of a rupee or more to the next multiple of 10 is to be implemented only for calculation of increment under revise pay structure granted on or after 01/07/2009.

इसे आपकी सूचनार्थ, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किया जा रहा है।

This is for your information, guidance and necessary action please.

(उपेन्द्र कुमार)
कृते र.ले.म.नि.

प्रतिलिपि -

(i) प्रशा.-4 अनुभाग - आपकी दिनांक 24/10/13 की अ.टि. सं. प्रशा./4/4618/8/वेतन निर्धारण के संदर्भ में सूचनार्थ।

(ii) लेखापरीक्षा अनुभाग -1, 2, 3 (स्थानीय)

(iii) लेखापरीक्षा समन्वय अनुभाग (स्थानीय)

(iv) प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी

(v) पुस्तकालय (स्थानीय)

(vi) एम. एन. बी. (स्थानीय)

(vii) महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.), पुणे [र.ले.प्र.नि.(अफसर), पुणे के माध्यम से]

(viii) महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए.(मुख्यालय), कोलकाता [प्र.ले.नि.(फै.), कोलकाता के माध्यम से]

(ix) ई.डी.पी. केन्द्र (स्थानीय) - रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उपेन्द्र कुमार)
कृते र.ले.म.नि.